न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नावां (नागौर) राज.

पीठासीन अधिकारी :— श्री ब्रह्मलाल जाट, आर.ए.एस.

प्रार्थीगण :— बनाम अप्रार्थीगण :—

1— गोपाललाल पुत्र रामनिवास
2— गोविन्दराम पुत्र रामनिवास
कुमावत सा. कनोज नगर

1. मूलाराम पुत्र माधूराम
2. लिछमणराम पुत्र माधूराम
3. कमलकिशोर पुत्र रामनिवास
कुमावत सा. कनोज नगर
4. पूरणराम पुत्र मांगूराम जाट
5. बिरमाराम पुत्र मांगूराम जाट
कुमावत सा. कनोज नगर
6. तहसीलदार नावां

प्रार्थना पत्र बाबत :— पत्थर गढ़ी बाबत अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.ए.

उपस्थित :— श्री हनुमानाराम वकील प्रार्थीगण

श्री राजेश गुजर वकील अप्रार्थी 1, 2

मुकदमां नम्बरः— 66 / 2018 निर्णय दिनांक :— 15.07.2019

निर्णय

प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि ग्राम कनोजनगर के खसरा नम्बर 1389 / 1177, 1175, 1176, 1148, 1179, 1230 कुल रकबा 7.51 हैक्टयर भूमि प्रार्थीगण व अप्रार्थी 1 से 5 की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड हैं तथा खसरा नम्बर 1177 रकबा 1.05 हैक्टयर व खसरा नम्बर 1228 रकबा 0.38 हैक्टयर भूमि अप्रार्थीगण 1 व 2 के नाम राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज है। उक्त भूमि में खसरा न्मबर 1389 / 1177 व 1176 सम्पूर्ण भूमि प्रार्थीगण व अप्रार्थी 3 के कब्जे काश्त व खातेदारी में दर्ज चली आ रही हैं, प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की भूमि के उत्तर में अप्रार्थी 1 व 2 की खातेदारी सुदा भूमि खसरा नम्बर 1177 रकबा 1.05 हैक्टयर दर्ज रिकार्ड हैं, अप्रार्थी 1, 2 ने खसरा नम्बर 1389 / 1177 की माठ को तोड़ कर खसरा नम्बर 1389 / 1177 में आगे बंढ गऐ हैं जिससे प्रार्थीगण का रास्ता बंद हो गया हैं रास्ता बंद होने से प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की भूमि के बा जोत में दिक्कम आ रही हैं, प्रार्थीगण ने खसरा नम्बर 1177 रकबा 1.05 हैक्टयर व खसरा नम्बर 1389 / 1177 का सीमज्ञान करवाया पटवारी हल्का की रिर्पोट दिनांक 08.05.2018 को सीमाज्ञान किया गया जिसमे खसरा नम्बर 1177 की दक्षिणी पश्चिमी सीमा की तरफ 2 मीटर खसरा नम्बर 1389 / 1177 की भूमि में आगे बढ़ा हुआ हैं उक्त सीमाज्ञान के सीमा कायम करने की कहने पर उनके द्वारा इंकार कर दिया व लड़ाई झगडा करने पर आमदा हो गया हैं जिससे प्रार्थीगण ने मुताबिक सीमाज्ञान खसरा नम्बर 1177

उपखण्ड अधिकारी
नावां (नागौर)

व1389 / 1177 की मध्य सीमा पर पत्थरगढ़ी करवाने का आदेश तहसीलदार नावां को प्रदान करने की इस्तदुआ की है।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। दिनांक 20.08.2019 को अप्रार्थी 1, 2 की ओर से वकील श्री राजेश गुर्जर ने वकालतनामा पेश किया था प्रतिवादी 3 से 6 के नोटिस विधिवत रूप से तामील होकर प्राप्त होने के बावजूद अनुपस्थित रहने पर एक पक्षीय कार्यवाही की गई। वकील अप्रार्थीगण को बार बार जवाब पेश करने हेतु समय दिया जाने के बावजूद जवाब पेश नहीं करने पर जवाब बन्द किया गया। वकुलाय की बहस सुनी गई पत्रावली एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थीगण ने ग्राम कनोजनगर के खसरा नम्बर 1389 / 1177 रकबा 0.48 हैक्टयर भूमि व खसरा नम्बर 1177 रकबा 1.05 के मध्य सीमा पर पत्थर गढ़ी करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया हैं जमाबन्दी के अनुसार प्रार्थीगण इस विवादित भूमि के सह खातेदार काश्तकार हैं जिसमें अप्रार्थी 1 से 5 भी अपने हक हिस्से अनुसार रिकार्डेड़ खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड हैं, प्रार्थीगण स्वंय ने ग्राम कनोजनगर के खसरा नम्बर 1389 / 1177, 1175, 1176, 1148, 1179, 1230 कुल रकबा 7.51 हैक्टयर सम्पूर्ण भूमि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी कब्जे काश्त की होना स्वीकार किया हैं, प्रार्थीगण खसरा नम्बर 1389 / 1177 रकबा 0.48 हैक्टयर भूमि व खसरा नम्बर 1177 रकबा 1.05 के मध्य सीमा पर पत्थर गढ़ी करवाने का निवेदन किया हैं उक्त भूमि में अप्रार्थीगण भी खातेदार काश्तकार हैं, दौराने बहस वकील अप्रार्थी ने तर्क दिया हैं कि प्रार्थीगण अपनी स्वंय की खातेदारी सुदा भूमि की सीमाओं पर ही पत्थरगढी करवा सकते हैं विवादित भूमि हम अप्रार्थीगण का भी हक हिस्सा व खातेदारी निहित हैं जिसकी सीमाओं पर पत्थरगढी करवाने का अधिकार अकेले प्रार्थीगण को नहीं हैं। जमाबन्दी के अनुसार भी प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण विवादित भूमि के सह खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड विवादित भूमि का राजस्व रिकार्ड में कोई बंटवारा नहीं हो रखा हैं, बिना विधिवत बंटवारे के सह खातेदारी भूमि की सीमओं पर पत्थगढ़ी करवाने का अधिकारी प्रार्थीगण को नहीं हैं, प्रार्थीगण अपनी सेपरेक्ट खातेदारी की भूमि की सीमाओं पर ही पत्थरगढ़ी करवाने के अधिकारी हैं। जिससे प्रार्थीगण का प्रार्थन पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट साबित नहीं होने से खारिज किया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक15.07.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ब्रह्मलाल जाट)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, नावां
नावां (नागौर)